राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने की दशा में उपलब्ध हितलाभ

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों को, मृत्यु होने पर, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अधीन पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस से हितलाभ चयन करने का विकल्प दिया गया है। मृतक सरकारी कर्मचारी का कुटुंब इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता है।

- यदि सरकारी कर्मचारी इस विषय में अपना विकल्प नहीं दे सका हो, तो पहले 15 वर्ष की सेवा के लिए पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ लेने का डिफ़ॉल्ट विकल्प दिया गया है और तत्पश्चात, एनपीएस के अंतर्गत हितलाभ लेने का डिफ़ॉल्ट विकल्प लागू होगा। वर्तमान में, इन नियमों के अनुसार मार्च, 2024 तक, पुरानी पेंशन योजना का डिफॉल्ट विकल्प, यदि कर्मचारी ने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तब भी लागू रहेगा।

- एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध हैं:

  (i) सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कुटुंब पेंशन या डिफॉल्ट विकल्प,

  अथवा,

  यदि सरकारी कर्मचारी ने एनपीएस के अंतर्गत हितलाभ के विकल्प का चयन किया है, तो कुटुंब को एनपीएस के अंतर्गत उसकी संचित पेंशन धन से हितलाभ मिलेगा।

  (ii) मृत्यु उपदान,
  (iii) अवकाश नकदीकरण,
  (iv) केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) से हितलाभ,
  (v) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) हितलाभ,

- केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 20 के अनुसार, यदि सरकारी कर्मचारी ने पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ का विकल्प चुना था (या यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया था, तो उस दशा में लागू डिफ़ॉल्ट विकल्प), संबंधित कार्यालय मृतक सरकारी सेवक के कुटुंब के पात्र सदस्य(सदस्यों) को कुटुंब पेंशन संस्वीकृत करने के लिए कार्रवाई करेगा, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना (अर्थात 01.01.2004

से पूर्व सेवा में कार्यभार ग्रहण करनेवालों के लिए यथालागू) के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जाता है।

- साथ ही, एनपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सरकारी अंशदान (और उस पर प्रतिलाभ) को सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) नियमों के अनुसार, शेष रकम का संदाय नामित व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी को एकमुश्त किया जाएगा।

- तथापि, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपनी मृत्यु होने की स्थिति में एनपीएस से हितलाभ लेने का विकल्प चुना था या यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया था, जिनके मामले में एनपीएस के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने का डिफ़ॉल्ट विकल्प है, संबंधित कार्यालय मृतक सरकारी कर्मचारी के एनपीएस के अंतर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) को बंद करने की कार्रवाई करेगा और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत वार्षिकी सेवा प्रदाता से पात्र सदस्य को एकमुश्त (संचित पेंशन धन का अधिकतम 20%) का और शेष पेंशन धन से वार्षिकी का हितलाभ प्रदान करेगा।

- अन्य हितलाभ जैसे मृत्यु उपदान, छुट्टी नकदीकरण, सीजीईजीआईएस और सीजीएचएस दोनों दशाओं में उपलब्ध होंगे।

****